उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1506–पें0एवंआर0–28/पाकालि/22–108–पेंशन–31/90(TC-III), दिनांक 15 नवम्बर, 2022

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय :उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01.07.2022 से महँगाई राहत की एक और किश्त स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2022 से महँगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किश्त अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–23/2022/आई/227018/2022/फा0नं0–10–22099/1401/2020, दिनांक 19.10.2022 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर **दिनांक 01 जुलाई 2022 से 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत** हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	महँगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महँगाई राहत की देय किश्त की दर	महँगाई राहत की देय कुल दर (मासिक)
1	01 जुलाई, 2022	04 प्रतिशत	38 प्रतिशत

2– महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

3– दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4– पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी0/रा0वि0प0(औ0सं0/उन्नीस)–14(23) एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

5– महँगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्रा)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः..2

संख्या–1506(I)पें0एवंआर0–28/पाकालि/2022, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/पश्चिमांचल/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
7. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को **10 अतिरिक्त प्रतियों सहित**।
12. **अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।**
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

आ। (signature)

(आनन्द श्रीवास्तव)

अनु सचिव(पें0एवंआर0)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-23/2022/आई/227018/2022/फा0नं0-10-22099/1401/2020

लखनऊ : दिनॉक 19 अक्टूबर, 2022

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषय: **राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।**

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महॅगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या11/2022/सा-3-400/दस-2022-301/2000टी0सी0 दिनांक 23 जुलाई 2022 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2022 से महॅगाई राहत की दर 31 प्रतिशत से बढ़ा कर 34 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जुलाई, 2022 से महॅगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महॅगाई राहत में उपर्युक्त बढोतरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महॅगाई राहत की दर 34 प्रतिशत से बढ़कर दिनॉक 01 जुलाई, 2022 से 38 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महॅगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्ता शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्तं राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महॅगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.gov.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवा में,

(1)उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

(2)महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3)महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड,,देहरादून।

(4) समस्त राज्यो के महालेखाकार।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।